

प्रेस नोट

दिनांक 05.08.2025

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना/मारपीट व एसिड फेंककर घायल करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2025 धारा 85,115(2),352,351(3),124(1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 05 आरोपी अभियुक्तगण 01. विजय कुमार गुप्ता पुत्र नन्नन प्रसाद 02. सचिन कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता 03. शुभम कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता 04. अजय कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता 05. श्रीमती रेखा देवी पत्नी विजय कुमार गुप्ता को हनुमान नगर तिराहा खोड़ारे बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2025 को वादी श्री शुभम् पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम पुरैना पाण्डेय मानिकचंद चौराहा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन की शादी 03 वर्ष पूर्व सचिन कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी ग्राम औसानी झलिहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनकी बहन को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, दिनांक 04/08/25 को वह अपनी मां और भाई के साथ बहन की ससुराल समझौता करने के इरादे से गए, जहाँ बहन के पति एवं ससुरालीजनों द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मारपीट की गई जिसका विरोध करने पर दुकान में रखा तेजाब लड़की पक्ष के लोगों पर फेंक दिया जिससे वादी, वादी की माँ, बहन और भाई जल गए। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 05.08.2025 को विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 01. विजय कुमार गुप्ता पुत्र नन्नन प्रसाद (ससुर) 02. सचिन कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (पति) 03. शुभम कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (देवर) 04. अजय कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (देवर) 05. श्रीमती रेखा देवी पत्नी विजय कुमार गुप्ता (सास) निवासीगण ग्राम औसानी झलिहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विजय कुमार गुप्ता पुत्र नन्नन प्रसाद (ससुर)
02. सचिन कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (पति)
03. शुभम कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (देवर)
04. अजय कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता (देवर)
05. श्रीमती रेखा देवी पत्नी विजय कुमार गुप्ता (सास) नि0 गण ग्राम औसानी झलिहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 85,115(2),352,351(3),124(1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवनीश यादव
02. हे0का0 उग्रसेन यादव
03. हे0का0 सुनील चौधरी
04. का0 आदर्श कुमार वर्मा
05. का0 विवेक सिंह
06. म0आ0 ऋतिका सिंह

प्रेस नोट

दिनांक 05.08.2025 थाना उमरी बेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 032/2025 धारा 3 (1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज गोण्डा से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त 01. सुरेश कुमार पुत्र बरखूराम निवासी ग्राम सिझौलिया थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर को थाना तरबगंज क्षेत्र के रगड़गंज चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.02.2025 को थानाध्यक्ष वजीरगंज द्वारा थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0 032/2025, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, बनाम 01. सुरेश कुमार पुत्र बरखूराम आदि 4 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त 01. सुरेश कुमार पुत्र बरखूराम निवासी ग्राम सिझौलिया थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर को थाना तरबगंज क्षेत्र के रगड़गंज चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गोवंश का वध करने व उसके माँस की तस्करी करने जैसा जघन्य अपराध करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुरेश कुमार पुत्र बरखूराम निवासी ग्राम सिझौलिया थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 032/2025 धारा 3 (1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय (थाना उमरी बेगमगंज)
02. उ0नि0 सुनील कुमार
03. का0 जितेन्द्र कुमार
04. का0 रविकुमार राय

मीडिया सेल, गोण्डा।